



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11042026-271727
CG-MH-E-11042026-271727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1778]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 10 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 37A के तहत

का.आ. 1847(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (वर्ष 1989 का 24वां) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत पुणे-अहिल्यानगर परियोजना के बीच नई दोहरी लाइन (132.88 किमी) "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के पुणे और अहिल्यानगर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/New Double line/Pune-Ahilyanagar/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th April, 2026

Under clause 37A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1847(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**New Double line between Pune-Ahilyanagar Project (132.88 Kms)**” as Railway project under Central Railway, under “**Special Railway Project**” for acquisition of land in Pune & Ahilyanagar District of Maharashtra State, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/New Double line/Pune-Ahilyanagar/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA , Chief Administrative Officer (Construction)